राजस्थान सरकार
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन
2009

जन अभियोग निराकरण विभाग, जयपुर

राजस्थान सरकार
जन अभियोग निराकरण विभाग
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन
वर्ष–2009

राज्य सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों एवं जन साधारण के परिवादों का राज्य स्तर पर निराकरण करने की दृष्टि से इस विभाग की स्थापना अधिसूचना क्रमांकः प.2(20)जीए/ए/71, दिनांक 26.07.1971 के तहत की गई थी। विभाग के प्रशासनिक मुख्य अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को रखा गया है, जो आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव, जन अभियोग निराकरण विभाग के पदनाम से जाना जाता है।

2. **जन अभियोग निराकरण के लिए वर्तमान व्यवस्था** :–
विभाग की अधिकारिता सरकारी अधिसूचना संख्याः एफ–2(20)जीए/ए/71, दिनांक 26.07.1971, 24.09.1971 तथा 13.03.1972 द्वारा परिभाषित की गई है जिन के अनुसार निम्नलिखित कार्य प्रमुख हैंः–

1. ऐसे सरकारी कर्मचारियों के स्थायीकरण के मामले जिन्हें 3 वर्ष से अधिक समय से स्थायी नहीं किया हो।
2. पेंशन तथा उपादान (ग्रेच्युटी) के मामले।
3. तीन माह से अधिक समय से वेतन नहीं मिलना।
4. सेवा निवत्तियों, मूल सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को बीमा की रकम नहीं मिलना।
5. सेवा से निलम्बन के मामले, जहां कि कोई सरकारी कर्मचारी दो वर्ष से अधिक समय से निलम्बित चल रहा हो।

3. राज्य से संबधित शिकायतें, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, लोक शिकायत मंत्रालय, भारत सरकार, राज्यपाल सचिवालय, मुख्य मंत्री कार्यालय से प्राप्त होने वाली शिकायतें एवं कर्मचारियों/आम जनता से प्राप्त होने वाली शिकायतें इस विभाग में प्राप्त होती है साथ ही जन समस्याओं जैसे सफाई, पानी, बिजली की सुविधायें व अतिक्रमण जो जन समस्याओं की

परिधि में आते हैं उनका निस्तारण इस विभाग द्वारा समय पर किया जाता है।

4. शिकायतों के वे मामले जिनमें राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा निपटारे में देरी की गई हो या ऐसे मामलों जिन पर विभागों द्वारा ध्यान नहीं दिया गया हो, पर भी विचार किया जाता है। दिनांक 09.01.1980 से इस विभाग का कार्यक्षेत्र और अधिक विस्तृत कर दिया गया जिसके अन्तर्गत नगर निगम/परिषद/पालिका (मण्डल) एवं नगर विकास न्यास, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति, विधवायें, अंगहीन व्यक्तियों तथा राज्य कर्मचारियों के वेतन निर्धारण में देरी, बकाया वेतन का भुगतान, यात्रा भत्ता, वार्षिक तरक्की, अमानत राशि की वापसी, चिकित्सा भत्ता, निर्वाह भत्ता, बीमा सम्बन्धी कार्य आदि का निस्तारण परीक्षणों उपरान्त किया जाता है।

5. यह विभाग कानूनों, नियमों, प्रक्रियाओं, पूर्वोद्वाहरणों इत्यादि में परिवर्तन की सिफारिश करने हेतु अधिकृत है जिससे कार्य का निपटारा शीघ्र हो सके या वे अभियोगों के निराकरण में सहायक हो सके। विभिन्न सरकारी ऐजेन्सियों द्वारा किये गये विनिश्चयों में से अभिकथित अनौचित्यके सुस्पष्ट मामलों को भी जन अभियोग निराकरण विभाग के प्रमुख शासन सचिव के निर्देश पर अथवा जब कभी भी मुख्यमंत्री, प्रभारी मंत्री या मुख्य सचिव महोदय द्वारा विशेष रूप से चाहा जाये, ऐसे प्रकरण भी इस विभाग द्वारा देखे जाते है।

6. मई 1992 में राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि राज्यपाल सचिवालय से प्राप्त व राज्यपाल महोदय द्वारा आयोजित दरबार में उन्हें प्राप्त सभी शिकायतों का निराकरण करने हेतु उन्हें जन अभियोग निराकरण विभाग में भेजा जाये और वांछित कार्यवाही/शिकायतों का निराकरण कर जनता को राहत पहुंचाई जावे, जिससे राज्य सरकार के प्रति जनता का विश्वास अधिक बढ़े। परिणाम स्वरूप इस विभाग में प्राप्त परिवादों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है।

7. दिनांक 01.01.2009 से 31.12.2009 की अवधि में विभाग में 11664 परिवाद प्राप्त हुए जिनमें से 337 पत्रों पर पत्रावली खोली जाकर सम्बन्धित शासन सचिवों/विभागाध्यक्षेां से प्रतिवेदन मांगे गये तथा शेष पत्रों पर आवश्यक कार्यवाही की गई। दिनांक 31.12.2008 को विभाग में 399 परिवाद लम्बित थे, उपरोक्त 337 नई खोली गई पत्रावलियों को मिलाकर कुल 736 परिवादों में से प्रधानमंत्री कार्यालय से प्राप्त प्रकरणों में से सम्बन्धित 82 परिवाद, जन साधारण से प्राप्त व्यक्तिगत समस्याओं से सम्बन्धित 12 परिवाद, कर्मचारियों से प्राप्त प्रकरणों से सम्बन्धित 6 परिवाद एवं महामहिम राज्यपाल महोदया एवं लोक शिकायत विभाग भारत सरकार, नई दिल्ली से प्राप्त प्रकरणों से सम्बन्धित 176 परिवादों का पूर्णरूपेण निस्तारण कराकर बंद कराये गये। जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ठ–। पर उपलब्ध है। दिनांक 31.12.2009 को 460 परिवाद लम्बित रहे।

8. <u>जिला एवं उपखण्ड स्तर पर जन सुनवाई</u> :–

विभाग द्वारा एक परिपत्र क्रमांक प.4(11) आरपीजी/एएस/एफ/99 दिनांक 15.01.2007 से माननीय मुख्य सचिव महोदय की ओर से सभी संभागीय आयुक्तों/जिला कलेक्ट्रों/उप खण्ड अधिकारियों को जन सुनवाई कर आम आदमी के परिवादों का त्वरित समाधान करने के लिये निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये :–

1. जिला कलेक्टरों/अतिरिक्त जिला कलेक्टरों एवं उपखण्ड अधिकारियों को निर्देश दिये जाते हैं कि वे प्रति सप्ताह 2 बार लगभग आधे दिन का समय देकर प्राप्त परिवादों का जन सुनवाई के माध्यम से एक निर्धारित समय सीमा में निपटारा करेंगें । यह कार्य उनके दैनिक रूटीन कार्य के अतिरिक्त होगा ।
2. भिन्न–भिन्न प्रकार के परिवादों के लिए एक सुनिश्चित समय सीमा तय की जायें । निर्धारित समय सीमा में परिवाद का निस्तारण न होने की स्थिति स्पष्ट करनी होगी ।

3. प्रतिमाह जिला स्तर पर अन्तिम शनिवार तथा उपखण्ड स्तर पर भी प्रतिमाह आयोजित होने वाली सतर्कता समितियों की बैठकें बिना किसी व्यवधान के आयोजित कर लंबित/प्राप्त परिवादों का निस्तारण किया जाए । यदि उस दिन राजकीय अवकाश पड़ता हो तो यह बैठक आगामी कार्य दिवस को आवश्यक रूप से आयोजित की जावें । संभागीय आयुक्त इन सतर्कता समितियों की बैठकों में लिये गये निर्णयों की नियमित क्रियान्विति सुनिश्चित करेगें । जन अभियोग निराकरण विभाग द्वारा इन बैठकों की समीक्षा पूर्व की भांति की जायेगी ।

9. आलोच्य अवधि में 01.01.2009 से 31.12.2009 तक जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समितियों की 152 बैठकें आयोजित की गई। इस अवधि में 1775 प्रकरण नये दर्ज किये गये। वर्ष में प्राप्त प्रकरण 1775 व पूर्व के बकाया प्रकरणों 482 कुल 2257 प्रकरणों में से 1654 प्रकरणों का निराकरण कराया गया (परिशिष्ठ–।।)।

10. माननीय मुख्यमंत्री महोदय की भावनाओं के अनुरूप आम जनता के अभाव अभियोगों का निराकरण त्वरित गति से हो सके इसके लिये कम्प्यूटराईजेशन के माध्यम से विभिन्न विभागों को जोड कर कम्प्यूट्रीकृत सोफ्टवेयर विकसित करने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई हैं, जिसे सचिवालय के पुराने स्वागत कक्ष में स्थापित किया जायेगा ।

————————

परिशिष्ठ – I

राजस्थान सरकार
जन अभियोग निराकरण विभाग

दिनांक 01.01.09 से दिनांक 31.12.09 तक सम्पादित कार्यो का वार्षिक विवरण

सेल का नाम	वर्ष के आरम्भ में लम्बित पत्रों की संख्या	वर्ष में प्राप्त पत्रों की संख्या	योग	वर्ष में निस्तारित किये गये पत्रों/परिवादों की संख्या			वर्ष के अन्त में लम्बित पत्रों की संख्या	वर्ष के आरम्भ में लंबित परिवादों की संख्या	कॉलम 7 व 9 का योग	वर्ष में निस्तारित परिवादों की संख्या	वर्ष समाप्ति पर लम्बित परिवादों की संख्या
				मूल ही आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजे गये पत्रो की संख्या	विभागीय पत्रावलियों पर कार्यवाही किये गये पत्रों की संख्या	पत्रों की संख्या जिन पर नई पत्रावलियां खोली गई					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
पी.एम सैल	..	364	364	..	255	109	..	123	232	82	150
पब्लिक सैल	..	1555	1555	450	1083	22	..	82	104	12	92
सर्विस सैल	..	571	571	140	401	30	..	59	89	6	83
गवर्नर एवं लोक शिकायत प्रकोष्ठ	..	5162	5162	4000	986	176	..	135	311	176	135
राष्ट्रपति कार्यालय एवं मुख्यमंत्री प्रकोष्ठ	..	2192	2192	2192	..	..	..	..	..	..	..
सामान्य प्रकोष्ठ	..	1820	1820	..	1820	..	..	..	..	..	..
योग	..	11664	11664	6782	4545	337	..	399	736	276	460

परिशिष्ठ – II

जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समितियों द्वारा सम्पादित कार्यो का विवरण (01.01.09 से 31.12.09)

क्र. स.	जिले का नाम	बैठकों की संख्या	पूर्व बकाया अभियोगों की संख्या	प्राप्त अभियोगों की संख्या	कालम 4 व 5 का योग	निस्तारित अभियोगों की संख्या	शेष अभियोगों की संख्या
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1.	अजमेर	4	15	58	73	62	11
2.	अलवर	2	18	35	53	27	26
3.	बांसवाड़ा	**9**	8	42	50	46	4
4.	बांरा	6	17	26	43	28	15
5.	बाड़मेर	9	15	51	66	48	18
6.	भरतपुर	2	9	24	33	23	10
7.	भीलवाड़ा	7	2	66	68	63	5
8.	बीकानेर	**2**	11	17	28	17	11
9.	बूंदी	**10**	9	50	59	48	11
10.	चित्तौड़गढ़	4	18	64	82	64	18
11.	चूरू	2	13	48	61	18	43
12.	दौसा	**6**	13	27	40	23	17
13.	धौलपुर	**6**	17	49	66	39	27
14.	डूंगरपुर	**5**	7	27	34	26	8
15.	हनुमानगढ़	**5**	28	79	107	91	16
16.	श्रीगंगानगर	**4**	11	31	42	35	7
17.	जयपुर	**3**	20	24	44	27	17
18.	जैसलमेर	**2**	8	47	55	27	28
19.	झालावाड	**5**	9	13	22	12	10
20.	जालौर	**1**	50	8	58	31	27
21.	झून्झूनू	**3**	18	34	52	26	26
22.	जोधपुर	**3**	20	166	186	130	56
23.	कोटा	**3**	31	245	276	259	17
24.	नागौर	**6**	3	44	47	38	9
25.	पाली	**7**	7	55	62	55	7
26.	राजसमन्द	**7**	7	69	76	64	12
27.	सीकर	**3**	9	34	43	34	9
28.	सवाई माधोपुर	**6**	43	45	88	64	24
29.	सिरोही	**3**	2	69	71	35	36
30.	टोंक	**5**	8	43	51	39	12
31.	उदयपुर	**4**	6	64	70	62	8
32.	करौली	**3**	22	2	24	9	15
33.	प्रतापगढ	**5**	8	119	127	84	43
	योग	**152**	482	1775	2257	1654	603